

ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं, ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी व प.बंगाल की पुलिस के खिलाफ अन्ततोगत्वा मुकदमा दर्ज किया

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। एन्कोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने अन्ततोगत्वा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए हैं, जो कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास और आई-पैक के कार्यालयों पर हुई ईडी की छापेमारी के दौरान वहां पहुंचे थे।

ईडी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यदि ये मामले अदालत में कायम रहते हैं, तो इससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूरे देश में यह एक अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है कि किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने छापेमारी और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया हो।

ईडी ने राज्य की मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सबूतों को नुकसान पहुंचाने

- अगर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शिकायत को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया तो ममता बनर्जी को सीधे जेल जाना पड़ेगा।
- ईडी ने सीबीआई से पूरे प्रकरण की जाँच कराने की भी मांग की है।
- दूसरी और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष “केविट” फाइल की, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुने।
- जैसा कि विदित ही है, कंसलटेंसी कंपनी आई-पैक, जिसके ऑफिस पर ईडी ने रेड की, ने 2021 के प.बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव की रणनीति फाइनल करने में अहम् भूमिका निभाई थी। प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से, आई-पैक के दफ्तर पर रेड के दौरान वहाँ पहुंचने और फाइलें ले जाने को सही बताते हुए कहा कि ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है।

और जांच में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं।

गत सप्ताह ईडी ने आई-पैक के कार्यालयों और उसके स्थानीय प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर रेड की थी। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुँचीं और कथित तौर पर वहां से महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं।

ईडी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लीज क्षेत्र से कोयले की चोरी और उसे चुनिंदा खरीदारों को बेचने से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। इस अवैध आय को हवाला चैनलों के जरिए बाहर भेजा गया और बाद में वापस लाया गया। ईडी पहले ही हवाला लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगा चुकी है और

उसके पास इससे जुड़े अहम सबूत और जानकारी मौजूद हैं।

कानून के तहत किसी जांच एजेंसी की रेड में हस्तक्षेप करना एक संज्ञेय अपराध है। किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसमें हस्तक्षेप करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अस्पताल में भर्ती

धनखड़ शनिवार 10 जनवरी को बाथरूम में लगातार दो बार बेहोश हो गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़-एम्स) में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों के अनुसार, वे सप्ताहांत में दो बार बेहोश हो गए थे।

74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई थीं, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया।

धनखड़ ने पिछले वर्ष 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।

उनका इस्तीफा अचानक आया था और इसके बाद कई अटकलें लगाई गईं।

इस्तीफे के बाद, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत ही कम दिखाई दिये।

- सोमवार सुबह उन्हें जाँच के लिए एम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर लिया। यहाँ एमआरआई सहित उनकी सभी जाँचों की जाएंगी।
- धनखड़ पिछले दिनों कई बार बेहोश हो चुके हैं। कच्छ के उत्तराखंड, केरल और नई दिल्ली में हुए कार्यक्रमों में भी उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ा था।
- धनखड़ ने गत वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण अचानक उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई गईं और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी कम हो गई थी।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जब वे वांशरूम गए थे, तब उन्हें “दो बार बेहोशी” के दौरे पड़े। इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच की सलाह दी गई।

एक अधिकारी ने कहा, “आज वे जांच के लिए एम्स गए थे, लेकिन

डॉक्टरों ने जाँचों के लिए उन्हें भर्ती करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल टैस्टों के तहत, डॉक्टरों द्वारा एमआरआई किए जाने की संभावना है।

एक अधिकारी के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न सार्वजनिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि बंसत ऋतु के आगमन और नई फसल के उल्लास में मनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी प्रकृति

- उन्होंने प्रदेशवासियों को जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लेने के लिए कहा।

के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि लोहड़ी की पावन अग्नि प्रदेशवासियों के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप बने वेनेज़ुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 जनवरी। सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर, जो एडिट किए गए विकिपीडिया पेज जैसी दिखती है, में ट्रंप को आधिकारिक फोटो लगाकर उन्हें “वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति” बताया गया है। असल विकिपीडिया पेज पर ट्रंप को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बताया गया है और न ही किसी

- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक फोटो में खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस दावे को मान्यता दी है।

यह पोस्ट अमेरिका द्वारा मौजूदा वेनेज़ुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर हटाने के बाद सामने आई। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें संघीय ड्राग तस्करी के आरोपों का सामना करना होगा। यह कार्रवाई कई महीनों से चल रहे अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और तेल-समृद्ध देश के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के बाद की गई।

मादुरो ने कहा है कि उनका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोर पकड़ने लगा है मनरेगा समर्थक आंदोलन देश के विभिन्न भागों में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए हैं

- रविवार को वाराणसी में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठी चार्ज की सभी तरफ से कड़ी निंदा की गई।
- मनरेगा योजना के सुजनकर्ता जीन ड्रेज़ ने कहा कि नई वीबी जी राम जी योजना केन्द्रीकृत है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों की है, यही नहीं, इसे जब चाहे बंद किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम चीन अर्थशास्त्री जैसे थॉमस पिकेटी, नोबल सम्मान विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ आदि ने भी मनरेगा को खत्म किए जाने पर विरोध जताया है।

खिलाफ 45 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, इसके बाद जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 से 29 जनवरी के बीच सभी

ग्राम पंचायतों में चौपालों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी को वाई स्तर पर सभाएं होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 7 से 15 फरवरी के बीच विधानसभाओं का राज्य स्तरीय “धेराव” किया जाएगा और 16 से 25 फरवरी के बीच चार बड़ी रैलियां

आयोजित की जाएंगी।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी डबल इंजन सरकार ने वाराणसी में शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, “मनरेगा को खत्म किए जाने और लाखों लोगों को रोजगार के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर ताकत का बर्बर इस्तेमाल और गिरफ्तारियां बेहद निंदनीय हैं।

वीबी-जी-राम-जी विधेयक 18 दिसंबर को, लोकसभा में पारित होने के कुछ ही घंटों बाद, राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था तथा तीन दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

आलोचकों का कहना है कि नए कानून की असली समस्या उसकी बारीकियों में छिपी है। मनरेगा के प्रमुख सिलपकार जीन ड्रेज़ का कहना है कि नई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों, कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद

एसआई भर्ती पेपर लीक के चार आरोपियों को जमानत मिली

जयपुर, 12 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों, कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद

- हाई कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि व केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए जमानत मंजूर की।

कुमार भारवानी की एकलपैठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की ओर से जेल में बिताई अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें जमानत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)